

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 3478

दिनांक - 05.12.25

प्रार्थीगण  
1 अबुकंवर पत्नि रावतसिंह 2  
मोहनकंवर पत्नि शैतानसिंह 3  
रेवतसिंह पुत्र रावतसिंह 4  
सहदेवसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति  
राजपुत निवासी खारा राठौडान  
तहसील रामसर जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 खुमाराम पुत्र वीरमाराम 2 जीयादेवी पत्नि बस्ताराम 3  
ढेलीदेवी पत्नि बस्ताराम 4 तखता पुत्री बस्ताराम 5 धुडी  
पुत्री बस्ताराम 6 बाबु पुत्री बस्ताराम 7 धर्मराम पुत्र  
रवाराम 8 रामु पुत्री मोडाराम जाति भील निवासी जुना  
पतरासर 9 अन्तरकंवर पत्नि वीरसिंह जाति राजपुत  
निवासी जुना पतरासर 10 वन संरक्षक अधिकारी, वन  
विभाग बाड़मेर 11 तसहीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 755/2025

दिनांक- 26/11/2025

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जुना पतरासर पटवार हल्का बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर के  
खेत खसरा संख्या 192 रकबा 23.3341 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए  
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी  
कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि  
निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा  
जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।  
कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो  
प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

दिनांक- 05.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 3479 - 3482

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बालेरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित  
रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण अबुकंवर पत्नि रावतसिंह जाति राजपुत निवासी खारा राठौडान तसहील रामसर जिला  
बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण खुमाराम पुत्र वीरमाराम वगैराह जातियान भील निवासी जुना पतरासर तसहील व जिला  
बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर